

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला बाराबंकी
तहसील फतेहपुर
आवेदन क्र० 191760030096038
प्रमाणपत्र क्र० 461193009931

जारी दिनांक: 20/09/2019

प्रमाणित किया जाता है कि:

पुरु/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

श्री सुजीत

श्री विनोद सीर्या

श्रीमती सीमा

, ग्राम कुसवाहा नगर मजरे अखईपुर प०

कुर्ना

फतेहपुर

बाराबंकी



उत्तर प्रदेश राज्य की मुराव/मुराई जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह श्री प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुजीत पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (वेदा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2001 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निम्नतर तीन वर्गों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1990 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



R.P. Yadav

जारी कर्ता केन्द्र: राम प्रकाश पादय, सहज जन सेवा केन्द्र
पद: राम प्रकाश पादय, केन्द्र प्रभारी
स्वाम: GHUNGHTER, फतेहपुर, निन्दुरा, बाराबंकी
दिनांक: 20/09/2019

RAM
DEV
NISHAD
Egally Signed
By: RAM DEV
ASMO
C-Personal
SHUTAR
UPRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
फतेहपुर, बाराबंकी
दिनांक: 20/09/2019

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र एलेक्ट्रॉनिक विनिमय द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल विवेक में हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://eeditshard.up.nid.in> पर एकादक चरण आवेदन क्र० चित प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, प्रमाणित किया जा सकता है।